उत्तर -पूर्वी राज्यों के विकास हेतु परियोजनाएं/योजनाएं, इनमें विकास प्रयोजन के लिए चिन्हित 10% की एक मुश्त व्यवस्था में सिक्किम भी शामिल है ।

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

तत्कालीन शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 19-20 मई, 2001 को गंगटोक में उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं सिक्किम की स्थानीय सरकारों/शहरी विकास/आवास के मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया । इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य इन राज्यों में इस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था एवं आठ राज्यों की विशेष विकास जरूरतों के लिए समुचित कार्यनीति तैयार करना भी था । सम्मेलन की अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप इन राज्यों के लिए निर्धारित गैर-व्यपगत केन्द्रीय मूल फंड के अलावा निधिबद्ध किए जाने वाले उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम की राज्य सरकारों के परियोजना प्रस्तावों पर विचार करने के लिए शहरी विकास एवं गरीबी उपशमन केन्द्रीय मंत्री की अध्यक्षता में मंत्रालय में एक कार्य दल का गठन किया गया । इस बात को दोहराया जाता है कि भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि मंत्रालय/विभागों के कुल बजट प्रावधान का 10% सिक्किम को सम्मिलित करते हुए उत्तर-पूर्वी प्रदेशों के विकास की योजनाओं/परियोजनाओं पर खर्च किया जाएगा । इस प्रावधान के अंतर्गत गैर-व्यपगत फंड एवं वित्तीय वर्ष में इस व्यवस्था के अंतर्गत खर्च न हुई शेष राशि भी इन राज्यों के लिए गैर-व्यपगत केन्द्रीय फंड में मिला दी जाए एवं इस राशि को फंड उत्तर-पूर्वी राज्य के विकास (डीओएनईआर) विभाग द्वारा उपयोग में लाया जाए ।

2. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय पहचान किए हुए निम्नलिखित क्षेत्रों में उत्तर-पूर्वी राज्यों के परियोजना प्रस्तावों को पूर्ण करता है :

i) आवास परियोजनाएं (विशेष रूप से शहरी गरीब के लिए)
ii) गरीबी उन्मूलन परियोजनाएं
iii) स्लम सुधार/उत्थान परियोजनाएं

3. तदनुसार, सिक्किम को सम्मिलित करते हुए उत्तर-पूर्वी राज्यों की सरकारों से परियोजना प्रस्ताव माँगे जाते हैं एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं के लिए अलग से रखे मंत्रालय के बजट के 10% एकमुश्त प्रावधान के अंतर्गत शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय में उन पर विचार किया जाता है । वर्ष 2001-02 के दौरान, 38 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया था । (पूंजी शीर्ष के अंतर्गत 19 करोड़ रुपये एवं राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 19 करोड़ रुपये) चूंकि एनईआर परियोजनों के लिए फंड की माँग केवल पूंजी शीर्ष

अवस्था से मुख्यतः पूर्ण की जानी थी, पूंजी शीर्ष में 33 करोड़ का फंड वित्त मंत्रालय द्वारा बढ़ाया गया था एवं **वर्ष 2001-02 के दौरान 33 करोड़ रुपये** की समस्त राशि जारी की गई थी ।

4. वर्ष 2002-2003 के दौरान, उत्तर-पूर्वी राज्यों एवं सिक्किम में परियोजनाओं के लाभ उठाने के लिए आबंटित कुल फंड 62.50 करोड़ रुपये रहा । जिसमें से **वर्ष 2002-2003 के दौरान 44.17 रुपये** की राशि जारी की गई । 18.33 करोड़ रुपये की शेष राशि उत्तर-पूर्वी प्रदेश विकास (डीओएनईआर) विभाग द्वारा गैर-व्यपगत पूल में रखी गई । उत्तर-पूर्वी प्रदेशों तथा सिक्किम से हर तरीके से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति न होने की वजह से आबंटित कुल फंड का उपयोग न हो सका ।

5. वर्ष 2003-2004 के दौरान, उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा सिक्किम में परियोजनाओं के लाभ के लिए बजट में 62.50 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई । (राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 1.00 करोड रुपये एवं पूंजी शीर्ष के अंतर्गत 61.50 करोड़ रुपये) । अनुदान की अनुपूरक माँग 2003-04 के लिए द्वितीय बैच में एनईआर राज्यों में उपयोग हेतु एसजेएसआरवाई के लिए 61.50 करोड़ रुपये में से 10.50 करोड़ रुपये दिए गए, इस प्रकार आरई अवस्था पर पूँजी शीर्ष के अंतर्गत कुल आबंटन केवल **51.00 करोड़ रुपये रहा ।** राजस्व शीर्ष के अंतर्गत उपलब्ध 1 करोड़ रुपये की राशि उत्तर-पूर्वी प्रदेशों तथा सिक्किम के लिए वाम्बे योजना के अंतर्गत उपयोग में लाई गई । पूंजी शीर्ष के अंतर्गत **2003-2004 में एनबीसीसी को 51.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई ।** 51.00 करोड़ रुपये में से केवल 103.67 करोड़ रुपये की राशि मणिपुर में नई परियोजना के लिए जारी की गई । एवं शेष राशि पूर्ववर्ती वर्षों में एनबीसीसी को स्वीकृत परियोजनाओं के लिए द्वितीय किश्त के रूप में दी गई ।

6. वित्तीय वर्ष 2004-2005 के दौरान 83.00 करोड़ रुपये की राशि उत्तर-पूर्वी, प्रदेश एवं सिक्किम में परियोजनाओं के लाभ के लिए वार्षिक प्लान में दी गई (राजस्व शीर्ष के अंतर्गत 1.00 करोड़ रुपये एवं पूंजी शीर्ष के अंतर्गत 82.00 करोड़ रुपये) । बीएमटीपीसी, एनबीसीसी एवं एचपीएल को विभिन्न एवं चल रही योजनाओं के लिए **वर्ष 2004-05 के दौरान 82.00 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई ।**

7. वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान आरई अवस्था पर सिक्किम को सम्मिलित करते हुए एनईआर में परियोजनाओं/योजनाओं के लिए बजट में 50.00 करोड़ रुपये की राशि की व्यवस्था की गई, चूंकि मंत्रालय का कुल प्लान बजट घट कर 400 करोड़ रुपये हो गया था, 10% एक मुश्त व्यवस्था के अंतर्गत आबंटन घट कर 40 करोड़ रह गया । तथापि, तब तक मंत्रालय में **2005-2006 के दौरान 45.06 करोड़ रूपये पहले ही उपयोग में ले लिए हैं ।**

वित्तीय वर्ष **2006-2007** के दौरान चालू परियोजनाओं के लिए इस योजना में **आबंटित 50.00 करोड़ रुपये का उपयोग किया जा चुका है ।**

चालू वित्तीय वर्ष 2007-2008 के दौरान चालू परियोजनाओं के लिए इस योजना में 50.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है । **31.12.2007 तक 41.23 करोड़ रुपये** विभिन्न चालू परियोजनाओं के लिए कार्यकारी एजेंसियों को **जारी किया जा चुका है ।**

हम से संपर्क कर सकते हैं

योजना से संबंधित किसी भी आगामी सूचना के लिए, कृपया निम्नलिखित से संपर्क करें:

1. श्री अस्व कुमार मिश्रा
   सचिव
   आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
   कमरा सं. 125-"सी", निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108
   फोन नं0: 2306 1444
   फैक्स नं0: 2306 1991
   ई-मेल :secy-mhupa@nic.in

2. डा0 पी0के0 मोहन्ती
   अपर सचिव (जेएनएनयूआरएम)
   आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
   कमरा सं0. 116-जी, निर्माण भवन, नई दिल्ली 110108
   फोन नं0: 2306 1419
   फैक्स नं0: 2306 1597/2306 1420
   ई-मेल :pkmohanty-ed@yahoo.co.in

3. श्री अवनीश कुमार मिश्र
   उप सचिव
   आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
   कमरा सं0. 204-"जी", एन.बी.ओ.,निर्माण भवन, नई दिल्ली 110108
   फोन नं0: 2306 1303
   फैक्स नं0: 2306 1542
   ई-मेल : writetoabnish@gmail.com

4. श्री एम0एल0 मीणा
   अवर सचिव(यूपीए)
   आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
   कमरा सं0. 215-"बी", एन.बी.ओ.,निर्माण भवन, नई दिल्ली 110108
   फोन नं0: 2306 1185
   फैक्स नं0: 2306 1185